न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, कोटपूतली जिला जयपुर

बईजलास :– जगदीश आर्य (आर.ए.एस.)

अपील संख्या – 56 / 2021

1. अमरसिंह पुत्र स्व. श्री सुरजभान

2. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री सुरजभान

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

–अपीलान्टगण

बनाम

1. तहसीलदार महोदय तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

2. रामसिंह पुत्र स्व. श्री सुरजभान

3. शांति पुत्री स्व. श्री सुरजभान

4. संतोष पुत्री स्व. श्री सुरजभान

5. ईमरती पुत्री स्व. श्री सुरजभान

6. रेवती पुत्री सोहन

7. श्रवण पुत्री सोहन

8. रीता पुत्री कौशल्या

9. रीना पुत्री कौशल्या

10. सरिना पुत्री कौशल्या

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

– तरतीबी रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा फैसल दिनांक 10.09. 2021 फैसल द्वारा तहसीलदार कोटपूतली

निर्णय दिनांक : 22.12.2021

वकील अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा इस आशय की पेश की कि आराजी हाल खसरा नम्बर 372/0.48, 373/0.24, 473/0.35, 643/1.15 किता 4 रकबा 2.22 हैक्टेयर वाके मोजा

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

मोहनपुरा में 1/8 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 626/1.88, 627/1.58 किता 2 रकबा 3.46 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा के 1/8 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 466/0.08 वाके मोजा मोहनपुरा में 1/16 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 471/0.17, 472/0.21 किता 2 रकबा 0.38 हैक्टेयर में हिस्सा 1/16 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 544/0.04, 545/0.04, 549/0.09, 557/0.11, किता 4 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 1/48 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 536/0.15, 539/0.20, 540/0.16, 541/0.08, 542/0.23, 566/0.27, 567/0.23, 568/0.10, 569/0.26, 570/0.15, 571/0.15, 572/0.15, 573/0.19 किता 13 रकबा 2.32 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा के 5/336 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 530/0.45, 531/0.34, 532/0.13, 533/0.21, 534/0.18, 535/0.15 किता 6 रकबा 1.46 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 5/432 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 344/0.010, 345/0.22, 495/0.25, किता 3 रकबा 0.57 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 1187/102600 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 574/0.24 वाके मोजा मोहनपुरा में 5/972 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 346/0.07, 347/0.07, 348/0.14 किता 3 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 5/756 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 634/0.41, 635/0.15, 636/0.40, 637/1.18, 638/0.40, 639/0.20, 640/0.27, 641/0.14, 642/0.16, 644/0.05, 645/0.02, 646/0.35, 647/0.78, 648/1.00, 649/0.41 किता 15 रकबा 5.92 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 5/252 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 343/0.10 वाके मोजा मोहनपुरा में 5/756 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 341/0.20, 342/0.20 किता 2 रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 5/324 हिस्सा के खातेदार जडावली पत्नी सुरजभान थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 22.02.2010 को हो गयी। जिनके वारिसान अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 हुये तथा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 536/0.15, 539/0.20, 540/0.16, 541/0.08, 542/0.23, 566/0.27, 567/0.23, 568/0.10, 569/0.26, 570/0.15, 571/0.15, 572/0.15, 573/0.19 किता 13 रकबा 2.23 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा के 1/12 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 530/0.45, 531/0.34, 532/0.13, 533/0.21, 534/0.18, 535/0.15 किता 6 रकबा 1.46 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 1/12 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 344/0.010, 345/0.22, 495/0.25, किता 3 रकबा 0.57 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 1/12 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 574/0.24 वाके मोजा मोहनपुरा में 2/27 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 346/0.07, 347/0.07, 348/0.14 किता 3 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 2/27 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 634/0.41, 635/0.15, 636/0.40, 637/1.18, 638/0.40, 639/0.20, 640/0.27, 641/0.14, 642/0.16, 644/0.05, 645/0.02, 646/0.35, 647/0.78, 648/1.00, 649/0.41 किता 15 रकबा 5.92 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 2/27 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 343/0.10 वाके मोजा मोहनपुरा में 2/27 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 341/0.20,

अति. जिला कलक्टर
(प्रथम) [illegible]

342/0.20 किता 2 रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके मोजा मोहनपुरा में 2/27 हिस्सा के खातेदार बोदु पुत्र सोना उर्फ श्योनाथ थे जिनका देहान्त दिनांक 19.08.1952 को हो गया जिसके वारिसान अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 लगायत 10 हुये। बोदु पुत्र सोना उर्फ श्योनाथ के स्थान पर उपरोक्त आराजी में उनके वारिसान अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण संख्या 2 लगायत 10 का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 334 ग्राम मोहनपुरा दर्ज कर दिया था। परन्तु सहवन से अगली जमाबन्दी बनाते समय अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण का नाम दर्ज किये जाने से रह गया। जिस पर अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकार्ड में शुद्वी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बाद जांच में उनके द्वारा यह जाहिर किया कि उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 334 में उक्त खसरा नम्बर अंकित किये जाने से रह गये। इसलिये पुनः नामान्तकरण अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण के नाम तहसीलदार कोटपूतली द्वारा जरिये पटवार हल्का नामान्तकरण संख्या 1062 दिनांक 15.07.2021 को दर्ज करवाया गया। जिस पर दिनांक 03.08.2021 को पटवारी हल्का द्वारा यह जाहिर करते हुये कि मृत्यु प्रमाण पत्र सजरा के अनुसार बोदु पुत्र सोना उर्फ श्योनाथ व जडावली पत्नी सुरजभान के विरासत नामान्तकरण दर्ज होने के पश्चात पुनः संचय होने पर उक्त नामान्तकरण खारीज किये जाने योग्य है। जिस पर दिनांक 10.09.2021 को तहसीलदार महोदय कोटपूतली द्वारा बिना अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण को सूचित किये उक्त नामान्तकरण खारीज कर दिया। जिस पर अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संबंधित जानकारी करने पर तहसील से ज्ञात हुआ कि उक्त नामान्तकरण दिनांक 10.09.2021 को खारीज कर दिया। उपरोक्त वर्णित आराजी के जडावली पत्नी सुरजभान के विधिक वारिसान उनके सभी लडके व लडकियो यानी अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्ट संख्या 2 लगायत 5 के नाम नामान्तकरण खोले जाने हेतु अपीलान्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इनके अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान जडावली पत्नी सुरजभान का शेष नही है। परन्तु पटवारी हल्का ने बदनियतीपूर्ण बिना यह जाहिर किये कि जडावली पत्नी सुरजभान के अन्य कोई वारिसान जो दर्ज किये जाने से रह गये का हवाला दिये बिना ही महज यह टिप्पणी करते हुये कि जडावली पत्नी सुरजभान के वारिसान के विषय में संशय है इसलिये नामान्तकरण खारीज किया जावे परन्तु पटवारी हल्का ने यह जाहिर किये बिना कि जडावली पत्नी सुरजभान के अन्य कोनसे विधिक वारिसान को अंकित किये जाने से रह गया अपनी रिपोर्ट में अंकित नही किया एवं यदि कोई वारिस नामान्तकरण में दर्ज किये जाने से रह गया तो उन्हे उक्त वारिस को नामान्तकरण में दर्ज किये जाने की अनुशंसा करनी चाहिये थी एवं तहसीलदार महोदय कोटपूतली ने भी बिना कोई जांच किये महज पटवारी हल्का द्वारा की गयी रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तकरण दिनांक 10.09.2021 को खारीज कर दिया। जडावली पत्नी सुरजभान के उपरोक्त भूमि उनके पति सुरजभान की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुयी है तथा जडावली पत्नी सुरजभान की मृत्यु उपरान्त सुरजभान के विधिक वारिसान यानी उनके समस्त लडके व लडकियों को कोई विधिक अधिकार हासिल होते है के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया है इसलिये उक्त नामान्तकरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटी नही थी।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

बोदु पुत्र सोना उर्फ श्योनाथ के विधिक वारिसान अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 लगायत 10 है तथा पूर्व में भी जरिये नामान्तकरण संख्या 334 उनके नाम ग्राम मोहनपुरा की भूमि में नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.09.2006 को स्वीकार किया है जो निर्विवादित है तथा आज दिन तक उपरोक्त नामान्तकरण को किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती नही दी गयी महज सहवन से उक्त नामान्तकरण संख्या 1062 में दर्ज आराजी में नामान्तकरण संख्या 334 ग्राम मोहनपुरा में अंकन किये जाने से रह गया जबकि राजस्व रिकार्ड यानी जमाबन्दी में उक्त नामान्तकरण संख्या 334 के आधार पर अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण के नाम अंकन किया जा चुका है। राजस्व विभाग यानी तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा की गयी त्रुटी को सही करने की नियत से तहसीलदार महोदय कोटपूतली द्वारा पुनः शेष बची आराजी में बोदु पुत्र सोना उर्फ श्योनाथ के स्थान पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु निर्देशित किया जिसकी अनुपालना में उक्त नामान्तकरण संख्या 1062 अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण के हक में दर्ज किया गया परन्तु पटवारी हल्का ने बदनियती पूर्वक दिनांक 03.08.2021 को गलत टिप्पणी करते हुये कि पुनः संशय होने पर जांच की गयी जिस पर वारिस सही नही पाये गये इसलिये नामान्तकरण खारीज किये जाने योग्य है। जबकि पूर्व में ही बोदु पुत्र श्योनाथ के स्थान पर अन्य खातेदारी की भूमि ग्राम मोहनपुरा में जरिये नामान्तकरण संख्या 334 अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण के नाम स्वीकार हो गया इसलिये उक्त निर्विवादित नामान्तकरण संख्या 334 के अनुसार समस्त विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा बदनियतीपूर्ण उक्त टिप्पणी की गयी। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 10.09.2021 तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2021 को निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा स्वीकार किये जाने के आदेश सादिर फरमाये।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। रेस्पोडेन्ट की बाद तामील लौटी।

हमने वकुलाये की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 1062 दिनांक 10.09.2021 ग्राम मोहनपुरा को निरस्त करने आदेश फरमावे।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती जडावली पत्नि सुरजभान की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान उनके लडके अमसिंह, राधेश्याम, रामसिंह पुत्रान सुरजभान व उनकी लडकियां शांति, ईमरती, संतोष पुत्रियान सुरजभान के नाम नामान्तकरण स्वंय पटवारी हल्का के द्वारा भरा गया है तथा स्वंय जडावली देवी के नाम उनके पति सुरजभान की मृत्यु के उपरान्त विरासत से प्राप्त हुई तथा सुरजभान व जडावली के विधिक वारिसान के नाम उपरोक्त नामान्तकरण में जडावली देवी पत्नि सुरजभान के नाम विरासत इन्तकाल भरा गया है एवं बोदु पुत्र सोना उर्फ श्योनाथ की मृत्यु के उपरान्त पूर्व में उनका विरासत नामान्तकरण

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

जरिये नामान्तकरण संख्या 334 ग्राम मोहनपुरा अमरसिंह, राधेश्याम, रामसिंह पुत्रान सुरजभान, शांति, ईमरती, संतोष पुत्रियान सुरजभान एवं श्रवण, रेवती पुत्रीयान सोहन, रीता, रीना, सरीना पुत्रियान कौशल्या पुत्री सोहन के नाम स्वीकृत नामान्तकरण है तथा उसी मोहनपुरा ग्राम में कुछ भूमि में बोदु पुत्र श्योनाथ का विरासत नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है इसलिए पटवारी हल्का द्वारा शेष बची भूमि में पूर्व नामान्तकरण संख्या 334 के अनुसार ही इस नामान्तकरण में बोदु पुत्र सोना उर्फ श्योनाथ के स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम अंकित किया गया है। पटवारी हल्का ने स्वंय ने उक्त नामान्तकरण भरा है तथा उसके पश्चात उक्त नामान्तकरण में यह टिप्पणी की गयी है कि वारिसान के नाम में संशय है इसलिए नामान्तकरण खारिज किया जावे। कतई न्यायसंगत नही है एवं आई.एल. आर. द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में कही भी यह अंकित नही किया है उक्त नामान्तकरण में जडावली व बोदू के वारिसान में किस व्यक्ति का नाम छुट गया। महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किये जाने की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा इसी अनुक्रम में तहसीलदार कोटपूतली ने पटवारी हल्का व आई.एल.आर की रिपोर्ट का हवाला देते हुये उक्त नामान्तकरण खारिज कर दिया जो कतई न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है आदेश नामान्तकरण संख्या 1062 वाके मोजा मोहनपुरा दिनांक 10.09.2021 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को अपास्त किया जाकर उक्त नामान्तकरण संख्या 1062 वाके मोजा मोहनपुरा तहसील कोटपूतली को स्वीकार करने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस हेतु तहसीलदार कोटपूतली को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)